

भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय, पोडाहाट, चक्रधरपुर

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 के नियम 129)

आदेश पत्रक ता० ..... से ..... तक  
केस का प्रकार TA Misc. Case No. .... 21 ..... / 2018-19

आदेश पत्रक संख्या क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
5-7-18	<p>आवेदक श्री सुनील बोदरा, पिता स्व० कानु हो, जाति-हो (अ.ज.जा.), ग्राम-टीकरचापी, थाना-चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। खतियानी जमीन मौजा-टीकरचापी, थाना- चक्रधरपुर, खाता नं०-58, प्लॉट नं०-274, रकवा:-18 डि०, क्रेता मांगता गागराई, पिता-विद्या गागराई, जाति-हो (अ.ज.जा.), ग्राम-होयोहातु, थाना-चक्रधरपुर, के पास विक्री करना चाहते हैं। आवेदन पत्र का अवलोकन किया गया। आवेदन पत्र के साथ विक्रेता का जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र संलग्न नहीं हैं। विक्रेता एक सप्ताह के अन्दर जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र कार्यालय में समर्पित करें। विक्रेता द्वारा निर्धारित समयसीमा के अन्दर जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने की स्थिति में इनके आवेदन पत्र को अस्वीकृत कर दी जायेगी।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित <i>Deen</i> 5-7-18 भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोडाहाट, चक्रधरपुर</p>	<p><i>Deen</i> 5-7-18 भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोडाहाट, चक्रधरपुर</p> <p><i>Deen</i> 5-7-18</p>

30.10.18

आज के रविवार दिवस उपस्थित। विवेक एवं संबंधित आवेकता द्वारा विवेक का आवेक एवं जारी प्रमाण पत्र आवेक प्रस्तुत नहीं किया गया है। निम्नानुसार छोरानागपुर काश्तकारी आवेकनाम की धारा-46(4) प्रॉविजो एच।सी की कार्रवाई 90 दिनों में के अन्तर् निष्पादित किया गया है। T.A. Misc डेश नं० - 71/18-19 की कार्रवाई 5.7.18 को प्रारंभ की गई है। भले दिनों के अन्तर् विवेक/संबंधित आवेकता द्वारा उक्त प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किए जाने के कारण वाद को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापत्र एवं संबंधित

30.10.18  
मनिश्वर उपाध्याय  
पौडाहाल कल्याण

७७ ६० ३५०